मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि 25 हजार से बढ़कर हुई 50 हजार

❑ विवाह आयोजन में अब नहीं होगी परेशानी - गरीब परिवारों के बेटियों के धूम-धाम से विवाह के सपने होंगे पूरे

रायपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है। इस वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में इस योजना के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। इससे कई परिवारों का अपनी बेटियों का धूम-धाम से विवाह का सपना पूरा हो सकेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योजना के तहत राशि में दो बार वृद्धि की है। बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रस्तुत पहले बजट में ही बेटियों के विवाह को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2019 में विवाह अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए कर दिया था। अब यह राशि बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है। वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट राशि भी 19 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रूपए कर दी गई है। इससे कई परिवारों में बेटियों के विवाह को लेकर चिंता दूर हुई है।

गौरतलब है कि कई परिवारों में आर्थिक परेशानियों के चलते बेटी का विवाह कठिन हो जाता है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए सहायता करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना और सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से गरीब परिवार के आत्मसम्मान में वृद्धि के साथ उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है।

योजना तहत देय लाभ- योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें वर-वधु की श्रृंगार सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग के सामान उपहार स्वरूप प्रदान करने के साथ बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से रूपए भी दिए जाते हैं।

सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था के लिए भी कुछ राशि व्यय की जाती है। योजनांतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी या एकीकृत बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। योजना के संबंध में अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी जानकारी ली सकती है।

महत्वपूर्ण एवं खास

सौ किलो से अधिक गांजे के साथ पकड़ाए एमपी के दो तस्कर

सारंगढ़ (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में डोंगरीपाली थाना पुलिस ने 110 किलोग्राम गांजा के साथ मध्यप्रदेश के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के दो गांजा तस्कर सफेद रंग के महिंद्रा बोलेरो गाड़ी में ओडिशा से गांजा एमपी में खपाने ले जा रहे थे। इस दौरान मुखबीर की सूचना पर डोंगरीपाली पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली। इसमें पुलिस को 22 लाख रुपए कीमत का 110 किलोग्राम गांजा मिला। इसके बाद पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर गांजा जब्त कर लिया तथा आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

दुकान से एक लाख 90 हजार की चोरी

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी में बीते दिनों अज्ञात चोर ने छत के रास्ते दुकान में प्रवेश कर दुकान में रखे 1 लाख 90 हजार रूपए व मोबाईल फोन पार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार भनपुरी निवासी सोमेश बजोरिया ने खमतराई थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि मेन रोड भनपुरी तिराहा स्थित उसकी ओम किशोर मेसर्स नामक दुकान में बीत 4 अप्रेल से 5 अप्रेल के बीच किसी अज्ञात चोरी ने दूकान मे छत के रास्ते दुकान के अंदर टेबल की दराज में रखे नगदी एक लाख 90 हजार तथा एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों का तबादला

रायपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार ने गुरुवार को जारी अपने आदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों का तबादला किया है। इसके साथ ही असंवर्गीय पद को आईएएस सेवा नियम के मुताबिक कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी आदेश में छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकार के सचिव आईएएस गोविन्दराम चुरेन्द्र को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं आईएएस आनंद कुमार मसीह को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सचिव के पद से छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।

जशपुर में आयोजित सरहुल पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर जिले के राजी पड़हा मुख्यालय दीपू बगीचा में आयोजित सरहुल पूजा (खद्दी परब) कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से धरती की पूजा कर प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। खद्दी पर्व धरती पूजा के अवसर पर समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री बघेल को पारंपरिक गमछा एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर भी भेंट किया गया।

जवानों ने लकड़ी के बने नक्सली स्मारक को आग लगाकर किया नष्ट

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी. एवं छस.बल की संयुक्त टीम अभियान हेतु धनोरा-ओरछा एवं की ओर रवाना हुई थी। थाना धनोरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मलसकट्टा में नक्सलियों द्वारा लकड़ी का स्मारक बनाया गया था, जिसे आज सुरक्षा बलों द्वारा उक्त नक्सली स्मारक को आग लगाकर नष्ट किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा बल द्वारा क्षेत्र में सर्चिंग गस्त के दौरान ग्राम भटबेड़ा में सुरक्षा बल एवं आम जनता को नुकसान की नीयत से रखे बिजली के वायर, फटाखे, आदि नक्सल सामग्री बरामद किया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही डीआरजी. एवं 09 वीं वाहिनी छस.बल की संयुक्त टीम के द्वारा किया गया है।

अतिक्रमण दस्ते ने हटाया आम बाड़ी से अवैध कब्जा

कोरबा (आरएनएस)। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने आज पोड़ीबहार स्थित निगम की आम बाड़ी में कतिपय व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया तथा उनके द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जे.सी.बी. के माध्यम से हटाकर आम बाड़ी को अतिक्रमण से मुक्त कराया, वहीं आयुक्त पाण्डेय के निर्देश पर निगम द्वारा आम बाड़ी की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण व चौकीदार कक्ष का निर्माण कर चौकीदार की तैनाती करने की कार्यवाही की जा रही है।

पोड़ीबहार क्षेत्र में लगभग 04-05 एकड़ जमीन पर निगम की आम बाडी स्थित है, तत्कालीन साडा कार्यकाल में निर्मित कराई गई उक्त आम बाड़ी में काफी संख्या में आम के फलदार वृक्ष स्थित हैं, कतिपय अवैध कब्जाधारियों द्वारा समय-समय पर उक्त आम बाड़ी में अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है, इसी कड़ी में 08-10 अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जा कर आम बाड़ी में मकान आदि का निर्माण कर लिया गया था, अभी हाल ही में निगम अमले ने इन अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। आज अतिक्रमण दस्ते ने प्रभारी अधिकारी योगेश राठौर की अगुवाई में आम बाड़ी पहुंचकर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बनाए गए मकानों आदि को जे.सी.बी. के माध्यम से हटाकर आम बाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया। यहॉ उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व ही आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने पोड़ीबहार क्षेत्र स्थित उक्त आम बाड़ी का भ्रमण कर आम बाड़ी की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किए जाने तथा आम बाड़ी को व्यवस्थित कर उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आयुक्त पाण्डेय के निर्देश पर निगम द्वारा आम बाड़ी के चारों बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, चौकीदार कक्ष का निर्माण व चौकीदार की तैनाती आदि के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

वन मंत्री अकबर ने ग्राम चमारी पहुंचकर पीड़ित परिवार से की भेंट-मुलाकात

रायपुर (आरएनएस)। वन मंत्री तथा विधायक कवर्धा मोहम्मद अकबर बोड़ला विकासखंड के ग्राम चमारी में विगत दिनों हुए घटना से पीड़ित परिवारजनों से भेंट-मुलाकात की। मंत्री अकबर ने परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने इस दौरान पीड़ित परिवार के सदस्यों को हर संभव सहायता के लिए आश्वस्त किया और आरोपी के खिलाफ कानूनी नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पूरी घटनाक्रम एवं अब तक हुई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि ग्राम चमारी में 03 अप्रैल को होम थिएटर के विस्फोट होने से परिवार के दो सदस्यों की निधन हो गया। इसके साथ ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाना रेंगाखार में जांच कर कार्यवाही की गई। जांच के दौरान आरोपी सरजू मरकाम पिता बलदेव मरकाम उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 11 ग्राम छपला पो. मंडई जिला बालाघाट मध्यप्रदेश के खिलाफ आपराधिक तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। इस दौरान बोड़ला जनपद अध्यक्ष अमिता प्रभाती मरकाम, सहसपुर लोहारा जनपद अध्यक्ष लीला धनुक वर्मा, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवा साहू सहित क्षेत्रिय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

गर्मी में काले कोट के बिना 15 जुलाई तक पैरवी कर सकेंगे वकील

जगदलपुर (आरएनएस)। जिला न्यायालय सहित सभी राजस्व न्यायालयों में 15 जुलाई तक पैरवी करने के दौरान वकीलों को काला कोट नही पहनने की छूट मिल गई है, लेकिन वकीलों को केवल कोट नही पहनने की छूट मिली है, लेकिन उन्हें ड्रेस कोड का पालन करना ही होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट बार काउंसिल के सचिव अमित कुमार वर्मा ने राज्य के सभी अधिवक्ता संघों को आलं इंडिया बार काउंसिल के लिए गए निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए कहा है कि गर्मी को देखते हुए पहली अप्रैल से 15 जुलाई तक यह छूट दी गई है। काला कोट नही पहनने से मिली छूट का स्वागत संघ के सदस्यों ने किया है। ज्ञात हो कि संभाग बस्तर के जिला सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर क्षेत्र में तापमान कहीं-कहीं 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसी हालत में वकीलों को काला कोट नही पहन कर पैरवी करने देने का आदेश राहत भरा है।

अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पानीग्राही ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि बस्तर जिले में भी गर्मी का पारा दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है, इस आदेश से वकीलों को राहत मिलेगी। उन्होने यह भी बताया कि वकीलों को केवल कोट नही पहनने की छूट मिली है, लेकिन उन्हें ड्रेस कोड का पालन तो करना ही होगा।

जवानों ने नक्सली स्मारक को आग लगाकर किया नष्ट

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी. एवं छस.बल की संयुक्त टीम अभियान हेतु धनोरा-ओरछा एवं की ओर रवाना हुई थी। थाना धनोरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मलसकट्टा में नक्सलियों द्वारा लकड़ी का स्मारक बनाया गया था, जिसे आज सुरक्षा बलों द्वारा उक्त नक्सली स्मारक को आग लगाकर नष्ट किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा बल द्वारा क्षेत्र में सर्चिंग गस्त के दौरान ग्राम भटबेड़ा में सुरक्षा बल एवं आम जनता को नुकसान की नीयत से रखे बिजली के वायर, फटाखे, आदि नक्सल सामग्री बरामद किया गया है।

रकम दुगूना करने के मामले में आर.पी.ग्रुप नामक फर्जी कंपनी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी सीएसईबी में पंजीबद्ध अपराध प्रार्थी ज्योति कुमार सोनी तथा नागेश्वर दास महंत ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि राजेंद्र व्यवाह मनीष दिव्य मेवा लाल साहू भुनेश्वर साहू भोलाराम नामक व्यक्ति द्वारा आर पी ग्रुप नामक कंपनी फर्जी रूप से बनाकर लोगों को लोक लुभावन100000 रुपए जमा करने पर एक वर्ष के अंदर 10000000 रुपए मिलेगा कह कर लोगों से वर्ष 2016 से कई करोड़ रुपए जमा कराया और किसी भी व्यक्ति को रकम वापस नहीं किया।

प्रार्थी द्वारा छप्पन लाख रुपए जमा किया गया है जो रकम मांगने पर टालमटोल कर रहा है जिस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था पूर्व में मुख्य आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फर्जी तैयार किए गए दस्तावेज जप्त किया गया था, आज आरोपी मनीष दिव्या को पूछताछ बाद उसके कब्जे से कई बैंकों का पासबुक खाता सात चार पहिया वाहन कंप्यूटर प्रिंटर तथा नोट गिनने का मशीन तीन वॉकी टॉकी आदि को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी से लगभग 7000000 का समान जप्त किया गया है फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को

कोरबा (आरएनएस)। नालसा नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 13 मई 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। श्री डी.एल. कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखे जाने हेतु समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया गया हैं। इसी क्रम में आज 04 अप्रैल 2023 को विद्युत कंपनी के अधिकारियों की बैठक ली गई। विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में शासन के द्वारा दिये जाने वाले लाभ की जानकारी दिये जाने हेतु संबंधित विभाग को पक्षकार को सूचना दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 06 अप्रैल 2023 को प्रात: 10:30 बजे जिले के समस्त फायनेंस कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्तागणों की बैठक 06 अप्रैल 2023 को सायं 5 बजे बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधकों/बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं की बैठक ली जाएगी।

एटीएम बदलकर अकाउंट से 82 हजार रूपए किए पार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के कबीर नगर में एक व्यक्ति एटीएम फ्राड का शिकार हो गया। एटीएम में पैसा निकालने के दौरान तीन अज्ञात लोगों से उससे एटीएम कार्ड बदल लिया तथा उसके अकाउंट से 82 हजार रूपए निकाल लिये। मामले की शिकायत कबीर नगर थने में दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार हीरापुर कबीर नगर में रहने वाले विजय चौधरी 30 मार्च को एटीएम से पैसा निकालने श्रीराम चौक एसबीआई एटीएम कबीर नगर गया था इसी दौरान तीन अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे थे जिन्होंने बातो बातों में विजय का एटीएम कार्ड बदल दिया और विजय को पता भी नही चला। कुछ दिनों बाद जब विजय के अकाउंट से लगातार पैसे निकलने लगे तो उसे शक हुआ और जांच की तो पता चला कि किसी व्यक्ति ने उसके अकाउंट से 82 हजार रूपए निकाल लिये है जिसके बाद विजय ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल-इंजीनियरिंग की दी जाएगी निशुक्ल कोचिंग

❑ अप्रैल माह तक छुटे हुए बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में प्रगति लाने निर्देश

❑ स्कूलों में अधोसंरचना और जरूरी मरम्मत-निर्माण के कार्यों की भी दे जानकारी

❑ कलेक्टर प्रभात मलिक ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

गरियाबंद (आरएनएस)। जिले के प्रतिभावान और इच्छुक छात्र-छात्राओं को निशुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाएगी। कलेक्टर प्रभात मलिक ने विद्यार्थियों की कोचिंग व्यवस्था के लिए विशेष पहल की है। बच्चों को जिला प्रशासन द्वारा चयनित उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता की कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग संस्थान बच्चों को बेहतर तकनीक की मदद से ऑडियो वीडियो तरीके से मेडिकल-इंजीनियरिंग की तैयारी करवाएंगे। साथ में जिले के विषय विशेषज्ञ शिक्षक गण बच्चों के डाउट क्लियर करने में भी मदद करेंगे। कलेक्टर मलिक ने इसके लिए प्रत्येक विकासखंड में दो केंद्रों का चयन करने और प्रत्येक केंद्रों में दो विषय विशेषज्ञों के इंतजाम कर आवश्यक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एडीएम अविनाश भोई, डीईओ डी.एस. चौहान सहित सभी बीईओ, बीआरसी और प्रिंसिपल शामिल हुए।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर मलिक ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्रों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने विकासखंड वार और स्कूलवार अभी तक बन चुके और बनाने के लिए लंबित जाति प्रमाण पत्र की जानकारी ली। साथ ही छूटे हुए बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य को अप्रैल माह तक पूर्ण करने के निर्देश सभी बीईओ - बीआरसी को दिए। कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्र की अद्यतन स्थिति जानने के लिए स्कूलवार बच्चों का पंजीयन, जारी जाति प्रमाण पत्र, लंबित आवेदन और पात्र बच्चों की जानकारी युक्त संयुक्त प्रतिवेदन सभी बीईओ - बीआरसी को भी देने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी एकत्र कर जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में प्रगति लगाते हुए तेजी से कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में जिले के सभी स्कूलों में अधोसंरचना के कार्य और स्कूलों में बैठक व्यवस्था, बिजली, पंखा, लाइट की सुविधा की भी जानकारी ली। साथ ही स्कूलों के फर्श की स्थिति, मरम्मत योग्य कार्य, छत एवं पानी-शौचालय आदि व्यवस्था की भी जानकारी लेकर आवश्यकता अनुसार सभी सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रिक्त और भरे हुए शिक्षकों के पद की भी जानकारी ली। उन्होंने अतिरिक्त और अतिशेष शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में शिक्षकीय व्यवस्था के अनुरूप शिक्षण कार्य में लगाने के निर्देश दिये।